पत्र संख्या- स0द0-परिपत्र- 14-15/ 1749/1415091 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश।

(सचलदल अनुभाग)

लखनऊ : : दिनांक : : 11 नवम्बर, 2014

समस्त

जोनल एडीशनल कमिश्नर /

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0)

ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0/कार्यपालक)/

असिस्टेन्ट कमिश्नर, सचलदल/करनिर्धारण,

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

मुख्यालय के परिपत्र संख्या-1415079/वाणिज्य कर, दिनांक 01-10-14 द्वारा प्रवर्तन कार्य के दौरान वाहन को रोककर जॉच करने की कार्यवाही में पारदर्शिता के उद्देश्य से डिटेन्शन मेमो पर विभागीय सर्वर से SMS के द्वारा छ: डिजिट का डिटेन्शन नम्बर प्राप्त कर अंकित किये जाने का निर्देश दिया गया है। यह व्यवस्था दिनांक 01-11-2014 से अनिवार्य रुप से लागू की गयी है।

सचलदल इकाईयों / कर निर्धारण अधिकरियों द्वारा की जाने वाली रोड चेकिंग में कतिपय मामलों में ठेला गाड़ी /तांगा /रिक्शा व अन्य साधनों (जिसमें वाहन नम्बर अंकित नहीं होता है) से परिवहित किये जा रहे माल के प्रपत्रों की जांच में अनियमितता पाये जाने पर नियमानुसार जमानत जमा करायी जाती है।

उपर्युक्त प्रकार के मामलों मे वाहन नम्बर अंकित न होने के कारण विभागीय सर्वर से SMS के द्वारा छ: डिजिट का डिटेन्शन नम्बर प्राप्त किया जाना सम्भव नही है। अत: निर्देश दिया जाता है कि इस प्रकार के प्रकरण में पूर्व प्रक्रिया के अनुसार डिटेन्शन मेमो जारी किया जाये। मुख्यालय के परिपत्र संख्या-1415079/वाणिज्य कर, दिनांक 01-10-14 द्वारा जारी व्यवस्था इस प्रकार के मामलों में उपर्युक्त सीमा तक शिथिल समझी जाये।

10.11.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)

कमिश्नर, वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश।